न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर/उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बेगूं

FORM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम

.... बनाम

करम मुकदमा .... नं. .... सन् ....

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख मे जारी हुए
3-9-25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई. प्रकरण मे वकील प्रार्थी ने अपनी बहस प्रा-पत्र अ-धा-136 LRA पर अपनी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है कि ग्राम नंदवाई प.ह. नन्दवाई के खाता सं. 124 आराजी सं. 1369/930 रकबा 2.5900 हे. भूमि प्रार्थीया व अन्य खातेदार की सह खातेदारी की आराजीयात है। जिसमे प्रार्थीया का 1/4 हक हिस्सा निहित है जिस पर प्रार्थीया निरंतर काबिज होकर उपयोग-उपभोग कर अपनी आजीविका चला रही है। उक्त पैत्रिक कृषि आराजीयात मे प्रार्थीया के पिता का नाम मोहन पिता बरदा जाति हरिजन के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। जबकि प्रार्थीया के पिता का नाम मोहन पिता बरदा के बजाय मोहन पिता प्रताप जी हरिजन राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे। प्रकरण मे तहसीलदार बेगू को पत्र जारी कर प्रार्थीया के पिता के नाम की जाँच करवाई गई. तहसीलदार बेगू ने अपनी जाँच रिपोर्ट मे प्रार्थीया के पिता के नाम के सम्बन्ध मे पटवार ह. नन्दवाई भू.अ.नि. बिछौर से जाँच करवाई गई प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीया के पिता का नाम मोहन पिता प्रताप सही है। लिपिकिय भूलवश मोहन पिता बरदा अंकित किया गया है। जिसे सही किया जाना उचित है। प्रकरण मे वकील प्रार्थीया की बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया. एवं प्रकरण मे प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र व बयानो एवं तहसीलदार बेगू की जाँच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर प्रार्थीया का प्रा-पत्र अ-धा-136 LRA का स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थीया का प्रा-पत्र अ-धा-136 LRA का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बेगू की जाँच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीया के पिता का नाम मोहन पिता बरदा के	

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर ... जो हुक्म ...
	मोहन पिता प्रताप हरिजन सही होना बताया जाने से प्रार्थीया का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बेगू को निर्देशित किया जाता है कि मौजा नन्दवाई प.ह. नन्दवाई के खाता सं. 124 आराजीसं. 1369/930 रकबा 2.5100 हे. भूमि के राजस्व रिकार्ड मे मोहन पिता बरदा के स्थान पर मोहन पिता बरदा उर्फ प्रताप दर्ज अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति तहसीलदार बेगू को पालनार्थ दि जावे। पत्रावली आज लोक अदालत मे फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature]	